<u>न्यायालय:— साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी</u> <u>चन्देरी जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण कं.-598/07</u> <u>संस्थापित दिनांक-01.12.2007</u> Filling no- 235103000162007

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर अभियोजन
विरुद्ध
1—गब्बर सिंह पुत्र चन्दन सिंह उम्र 35 साल निवासी— ग्राम टोडा तहसील चंदेरी जिला—अशोकनगर म०प्र० आरोपी

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 27.01.2018 को घोषित)

- 01— आरोपी के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323/34, 325/34, 506बी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 04.11.2008 को 4 बजे बटेरया नाला आम रास्ते पर फरियादी इन्द्रपाल सिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी इन्द्रपाल, बेबीराजा की मारपीट का सामन्य आशय बनाया उसके अग्रसरण में फरियादीगण की स्वेच्छया मारपीट की उपहित कारित की एवं फरियादी इन्द्रपाल सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रसरण में फरियादी की सख्त वोथरे हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की तथा फरियादी इन्द्रपाल को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— प्रकरण में अवलोकनीय है कि आरोपी लक्ष्मण एवं सैंधपाल के विरूद्ध दिनांक 18.08.2017 को निर्णय पारित किया जा चुका है एवं आरोपी भरत के विरूद्ध दिनांक 21.11.2017 को निर्णय पारित किया जा चुका है और यह निर्णय आरोपी गब्बर के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी इन्द्रपाल ने उसके लड़कें बेबीराजा के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि गब्बर उसकी द्वेक्टर द्वॉली से जंगल से लकड़ी लाया था जिसे रेंज वालो ने पकड़ लिया था। फरियादी इन्द्रपाल अपने द्वेक्टर से प्राणपुर से अपने घर जा रहा था कि बटेरया नाला शंकरपुर पर गब्बर यादव, भरत यादव, लक्ष्मण यादव, सैंधपाल यादव आए और उसके द्वेक्टर को रोक लिया और मां बहन की बुरी बुरी गालियां देकर बोले की तूने हमारा द्वेक्टर पकड़वाया है आज तुझे नहीं छोड़ेगे। चारो आरोपीगण ने उसकी लाठी, लुहांगी, लात घुसो से मारपीट की, उसका लड़का बचाने लगा तो उसकी भी मारपीट

Filling no- 235103000162007

की, घटना लगभग 4 बजे सुबह की है। उसके द्रेक्टर द्रॉली में बैठे गाँव के जितेन्द्र तथा आदिवासी ने बीच बचाव किया। आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना चंदेरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय है :--

- 1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 04.11.2008 को 4 बजे बटेरया नाला आम रास्ते पर आपने फरियादी इन्द्रपाल सिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी इन्द्रपाल, बेबीराजा की मारपीट का सामन्य आशय बनाया उसके अग्रसरण में फरियादीगण की स्वेच्छया मारपीट कर उपहति कारित की ?
- 3. क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी इन्द्रपाल सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उसके अग्रसरण में फरियादी की सख्त वोथरे हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की ?
- 4. क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी इन्द्रपाल को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

विचारणीय प्रश्न क0 1 व 4:--

06— विचारणीय प्रश्न क0 1 व 4 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने, एक ही घटना से संबंधित होने तथा विवेचना की सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी इन्द्रपाल अ०सा०1 ने उसके मुख्य परीक्षण के पैरा 2 में बताया कि आरोपीगण उसे मां बहन की गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि रिपोर्ट की तो मारकर फेक देगें, किन्तु उक्त साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनो में यह व्यक्त नहीं किया कि आरोपी द्वारा उसे मां बहन की कौन सी गालियां उच्चारित की थी और न ही इस बारे में कोई कथन दिये कि उक्त गालियों से उसे क्षोभ कारित हुआ हो और न ही साक्षी ने यह व्यक्त किया कि आरोपी द्वारा उसे लोक

Filling no- 235103000162007

स्थान पर गालियां दी गई थी। इसके अलावा इन्द्रपाल अ०सा०1 का कहना है कि आरोपीगण द्वारा रिपोर्ट करने पर मारकर फेकने की बात कही थी, किन्तु इन्द्रपाल अ०सा०1 ने उसकी साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया है कि आरोपी द्वारा दी गई अभिकथित धमकी से उसे भय व संत्रास कारित हुआ हो, इसके विपरीत घटना के पश्चात ही फरियादी इन्द्रपाल द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 लिखाये जाने का तथ्य फरियादी को अभिकथित धमकी से निरंतर एवं वास्तविक भय एवं संत्रास्त कारित होने की विपरीत स्थिति प्रकट करता है।

07— उल्लेखनिय है कि भा0द0स0 की धारा 503 में परिभाषित "आपराधिक अभित्रास" का अपराध गठित करने के लिये धमकी वास्तिवक होना चाहिए न की शब्द, जहां कि शब्द बोलने वाले व्यक्ति का आशय वह नहीं होता जोकि वह कह रहा है और वह व्यक्ति जिसें धमकी दी गई है वास्तव में भयभीत न हो तो वह अपराध ध वित नहीं होता है। आपराधिक अभित्रास का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि भयभीत करने का अथवा किस व्यक्ति को भयभीत किया गया है उस व्यक्ति को वह कार्य करने के लिये विवश करने का आशय होना चाहिए जिसको करने के लिये वैधानिक रूप से वह बाध्य नहीं है या ऐसा कार्य/लोप करने के लिये विवश करना चाहिए जिसे करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार है, साथ ही उपयोग किये गये शब्दो से इस बात का स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि अभियुक्त क्या करने वाला है और फरियादी को युक्तियुक्त रूप से वह लगना चाहिए कि अभियुक्त उसके शब्दो को कार्य रूप में परिणित करने वाला है। शरद दबे एवं अन्य विरुद्ध महेश गुप्ता व अन्य 2005 (4) एन.पी.एल.जे. 330 में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि केवल जान से मारने की धमकियां भा0द0सा0 की धारा 506 भाग—2 के अधीन अपराध का गठन नहीं करती।

08— फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी इन्द्रपाल अ0सा01 को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया।

विचारणीय प्रश्न क0 2 व 3:--

09— विचारणीय प्रश्न क0 2 व 3 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने, एक ही घटना से संबंधित होने तथा विवेचना की सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। इन्द्रपाल अ०सा०1 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि घटना वाले दिन वह द्रेक्टर लेकर प्राणपुर से भतीजा गाँव जा रहा था, और जब वह शंकरपुर लाल, जितेन्द्र के साथ पहूँचा तो आरोपीगण मिले और आरोपीगण ने उसकी मारपीट कर दी जिससे उसके कमर में चोट आई। आरोपीगण द्वारा उसे लाठी, टायर, लीवर से मारपीट करना व्यक्त किया और उसके लडके बेवीराजा को मुंह तथा पैर, हाथ व कंधे में चोट आई थी। उक्त साक्षी का कहना है कि उसके हाथ पैर कमर में

Filling no- 235103000162007

चोट आई थी और उसका उपर का दांत गब्बर की लाठी से ठूसा लगने से टूट गया था और आरोपीगण ने उससे चीज वस्तुएं और 300 रूपये भी छीन लिये थे जिसके संबंध में उक्त साक्षी द्वारा थाना चंदेरी में प्र.पी.1 की रिपोर्ट लेख कराई थी। पुलिस ने घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी.2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 10— शिवमंगल सिह सेंगर अ०सा०२ ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि दिनांक ०४.11.07 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को फरियादी इन्द्रपाल सिह ने आरोपीगण के विरुद्ध धारा 341, 294, 323, 506बी, 34 भा०द०वि० की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई थी और फरियादी इन्द्रपाल और आहत बेवीराजा को डॉक्टरी हेतु भेजा था जिसके मजरूह फार्म प्र.पी. 3 व 4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इसके अलावा विजय बहादुर सिह बुंदेला अ०सा०४ ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया है कि दिनांक 22.11.07 को चौकी विकमपुर में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को उसके द्वारा अ०क० 397/07 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उक्त साक्षी ने विवेचना के दौरान इन्द्रपाल की निशानदेही पर घटना स्थल का मानचित्र तैयार किया था और साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे और आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.7 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है और विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को सौप दिया था।
- 11— प्रकरण में अवलोकनीय है कि प्रकरण वर्ष 2007 से लंबित है और अभियोजन को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये तथा प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी बेबीराजा, लालू एवं जितेन्द्र सिह को अभियोजन न्यायालय में साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करने में असफल रहा एवं उक्त साक्षीगण के उनके दर्शाय पते पर न मिलने के कारण तथा तामीलकर्ता के कथन लिये जाने के पश्चात उक्त साक्षीगण को अदम पता घोषित किया गया तथा प्रकरण में आहत बेबीराजा की साक्ष्य न हो पाने की बजह से प्रकरण में बेबीराजा को आई हुई चोटों के संबंध में जो सर्वोत्तम साक्ष्य पेश की जा सकती थी वह नहीं की जा सकी है और उक्त सर्वोत्तम साक्ष्य का अभाव रहा हैं। अतः बेबीराजा के संबंध में किये गये अपराध के संबंध में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को दोषी नहीं उहराया जा सकता है।
- 12— फरियादी इन्द्रपाल अ०सा०1 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि आरोपीगण द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी जिससे उसके हाथ पैर व कमर में चोट आई थी और उसके उपर का दांत टूट गया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया कि उसने रिपोर्ट प्र.पी०.1 में दांत टूटने वाली बात लेखबद्ध करा दी थी, किन्तु प्र.पी.1 की पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन करने से उसमें फरियादी इन्द्रपाल द्वारा दांत टूटने वाली बात का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा फरियादी इन्द्रपाल अ०सा०1 ने उसके प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसके उपर का दांत टूटा था और बचाव पक्ष के इस सुझाब से इंकार किया कि उसके नीचे के दांतो में चोट आई थी।

Filling no- 235103000162007

डॉ. आर.पी.शर्मा अ०सा०३ ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि उसके द्वारा इन्द्रपाल के मेडिकल परीक्षण में दांए पैर की पिडली में नीलगू निशान जिसका आकार 1/2 इंच गुणा 1/4 इंच था तथा बांयी आंख के नीचे नीलगू निशान था एवं चोट नम्बर 3 बांयी तरफ नीचे की तरफ जबडे पर इनसाइजर दांत उपर से आधा टूटा हुआ था, नीचे के जबडे पर 16 दांत व उपर के जबडे पर 14 दांत थे तथा मसूडे कमजोर, पीछे के दांतो पर सडन उपस्थित थी, उक्त चोटो में चोट क0 1 व 2 साधारण तथा चोट नम्बर 3 गंभीर प्रकृति की होकर उक्त सभी चोटे कठोर एवं सख्त वस्तु से परीक्षण से 24 घंटे के अन्दर की थी। उक्त रिपोर्ट प्र.पी. 6 है जिसके ए से ए भाग पर उक्त साक्षी के हस्ताक्षर है।

13— इस प्रकार फरियादी इन्द्रपाल अ०सा०१ ने उसके मुख्य परीक्षण में आरोपी गब्बर के द्वारा लाठी से ठूसा मारने पर उपर का दांत टूटना व्यक्त किया, किन्तु दांत टूटने के संबंध में साक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा इन्द्रपाल अ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण में उपर का दांत टुटने वाली बात व्यक्त की जबिक आहत का मेडिकल परीक्षण करने वाले डॉक्टर आर.पी.शर्मा अ०सा०३ ने उसके प्रतिपरीक्षण में नीचे की पंक्ति का दांत टूटा होना व्यक्त किया है एवं शिवमंगल सिह सेंगर अ0सा02 एफआईआर लेखक ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में व्यक्त किया कि उसने आहत इन्द्रपाल की उपर की पंति का दांत टूटा नहीं देखा था तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि यह बात सही है कि आहत इन्द्रपाल ने उसके दांत उखड़ने वाली बात उसे नहीं बताई थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि आहत इन्द्रपाल का यदि घटना के समय आरोपी गब्बर द्वारा लाठी से ठूसा मारने से दांत टूटा था तो उक्त बात साक्षी द्वारा उसकी पुलिस रिपोर्ट में लेखबद्ध क्यों नहीं कराई गई एवं स्वयं साक्षी इन्द्रपाल उसके कथनो में जिस दांत के टूटने का उल्लेख कर रहा है मेडिकल परीक्षण में उसके विपरीत डॉ.आर.पी.शर्मा द्वारा नीचे की पंति के दांत टूटा होना बताया गया है जोकि आपस में एक दूसरे के विपरीत है। ऐसी स्थिति में घटना के समय आरोपी गब्बर द्वारा इन्द्रपाल का लाठी से दांत तोडने वाली बात प्रमाणित नहीं होती है। किन्तु आरोपीगण द्वारा इन्द्रपाल के साथ मारपीट की जाने के संबंध में फरियादी इन्द्रपाल के कथन सारतः अखण्डनीय रहे है और आहत को आई हुई उक्त चोटो का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से भी होता है ।

14— म0प्र0 शासन वि0 हमीम खांन 1999 (2) जे.एल. जे.पी—310 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट किया कि यदि आहत की साक्ष्य का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से होता हो तब ऐसी साक्ष्य को विश्वसनीय माना जा सकता है। जहां तक अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय का निर्माण कर उसके अग्रसरण में आहत की मारपीट कर उपहित किये जाने का प्रश्न है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी इन्द्रपाल द्वारा अभियुक्तगण द्वारा मिलकर उसके साथ मारपीट किया जाना व्यक्त किया है तथा सामान्य आशय का निर्माण घटना स्थल पर भी किया जा सकता है। जहां तक स्वेच्छया उपहित कारित किये जाने का प्रश्न है कि इस संबंध में

Filling no- 235103000162007

अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुकतगण घटना कारित करते समय उनके द्वारा किये गये कृत्यों के प्रभाव को जानते थे। अभिलेख के अवलोकन से अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा के अधिकार अथवा गंभीर व अचानक प्रकोपन के कारण उपहित कारित किया जाना दर्शित नहीं है। उपरोक्तानुसार किये गये विचारणीय बिन्दुओ पर विशलेषण के आधार पर आरोपीगण द्वारा आहत इन्द्रपाल अ०सा०१ की मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। किन्तु आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 325/34, 506 बी भा०द०वि० के आरोप प्रमाणित न होने से दोषमुक्त किया जाता है, और प्रमाणित अपराध धारा 323/34 भा०द०वि० में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

15— आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने के तथ्य पर विचार किया गया। आरोपी द्वारा आहत इन्द्रपाल को स्वेच्छया उपहित कारित की है। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी गब्बर को परिवीक्षा पर उन्मुक्त किया जाना यह न्यायालय उपयुक्त नहीं पाता है।

16— दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय थोडी देर के लिये स्थगित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

पुनश्च:-

17— बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.एस.यादव एवं अभियोजन को दण्डादेश के प्रश्न पर सुना गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि उदारतापूर्वक दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की, जबिक अभियोजन की ओर से शिक्षाप्रद दण्ड दिये जाने की प्रार्थना की।

18— उभयपक्ष की उक्त प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के अवलोकन उपरांत आरोपी को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त	धारा	सश्रम कारावास	अर्थदण्ड की	अर्थदण्ड के
			राशि	व्यतिक्रम में सश्रम
				कारावास
गब्बर	323 / 34	न्यायालय उठने	500/-	7 दिन
गळार		तक का		
		कारावास		

Filling no- 235103000162007

- 19— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अविध के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 20- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।
- 21- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0